राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

(5)

एफ.4 (1)( )पो/SHG/मबावि/2007/27564-83 जयपुर, दिनांक 3/5/08

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं,
....

विषय :– आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सीधे खाने योग्य पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 10513–45 दि. 19.02.08

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खाने योग्य पूरक पोषाहार (बेबी मिक्स) उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। योजना के प्रथम चरण में राज्य की 19 बाल विकास परियोजनाओं में इस योजना को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। आशा की जाती है कि आप द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार स्वयं सहायता समूहों के चयन आदि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका होगा। कृपया इस सम्बन्ध में आप द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति से अविलम्ब अधो–हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार किये जाने वाले बेबी मिक्स पोषाहार के फोर्टीफिकेशन हेतु यूनीसेफ द्वारा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट के पाउच (स्प्रिंकल्स) उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक पाउच का वजन एक ग्राम है। प्रति लाभान्वित प्रति सप्ताह माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) के तीन पाउच उपलब्ध कराये जाने हैं। इस प्रकार एक बच्चे को माह के दौरान औसतन 12 पाउच उपलब्ध कराने होंगे। प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के औसतन 40 बच्चों को आधार मानने पर प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिमाह लगभग 480 पाउच की आवश्यकता होगी। प्रत्येक छोटे पैकेट में 100 पाउच है तदानुसार आगामी तीन माह के लिए प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र लगभग 14 छोटे पैकेट (1400 पाउच) की आवश्यकता होगी। आवश्यक पैकेटस की वास्तविक संख्या आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत वास्तविक लाभान्वितों की संख्या के आधार पर कम/अधिक भी हो सकती है।

अतः आपकी परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या अनुसार माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) के पाउच शीघ्र ही प्रेषित कराये जा रहे हैं जिन्हें उक्त निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रेषित करावें। माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) के उपयोग की विस्तृत विधि विभाग एवं यूनीसेफ के सहयोग से जारी गाईड बुक में उल्लेखित की गई है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण में कोरग्रुप के सदस्यों द्वारा इसके उपयोग करने की विधि को समझाया गया है। महिला पर्यवेक्षक/मास्टर ट्रेनर द्वारा आंगनबाड़ी स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान भी माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) के पाउच के उपयोग के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध करावें ताकि लाभान्वितों द्वारा माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) का सही रूप से उपयोग किया जाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

एफ.4 (1)( )पो/SHG/मबावि/2007/27584-90 जयपुर, दिनांक 3/5/08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
4. श्रीमती लक्ष्मी भवानी, परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ–राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक–यूनीसेफ, मुख्यालय।
6. प्रभारी अधिकारी (भण्डार) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि यूनीसेफ से प्राप्त माईक्रोन्यूट्रिएन्ट (स्प्रिंकल्स) के बॉक्सों को सम्बन्धित परियोजनाओं को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
7. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (सम्बन्धित)।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)